# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

**का.आ. 504(अ).—** जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 अगस्त, 1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 676 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार नेशनल सोसायटी फॉर इक्वल आपरच्यूनिटिस फार दी हैण्डीकैप्ड इंडिया ( एन ए एस ई ओ एच) पोस्टल कालोनी रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071 द्वारा अहमदाबाद जिला, महाराष्ट्र में अपंगों के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने की परियोजना को कर निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर विनिर्दिष्ट किया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 14 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं0 869 ( अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया था,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्वि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है,इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नेशनल सोसायटी फॉर इक्वल आपरच्यूनिटिस फार दी हैण्डीकैप्ड इंडिया ( एन ए एस ई ओ एच) पोस्टल कालोनी रोड, चेम्बूर, मुम्बई-400071 द्वारा अहमदाबाद जिला, महाराष्ट्र में अपंगों के सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने की चलाई जा रही परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात 15.00 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए 50.00 लाख रूपए की कार्पस निधि सहित वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 104/2006/फा. सं. एन. सी.-270/55/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)